न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–297 / 2018
वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम दीपक कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.01.2019	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 183 / मद्य नि0को0 दिनांक 17.12.18 से बहादुरपुर थाना कांड संख्या–451 / 18 दिनांक 15.10.18 में उत्पाद अधिनियम अन्तर्गत अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण जब्त वाहन पंजीयन सं0–**BR07PB-3473** (स्कॉर्पियो) के राज्यसात् हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी। इसी क्रम में विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1080 / 2019 में दिनांक 15.01.2019 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। उक्त के आलोक में वाहन विमुक्ति हेतु शपथ पत्र इत्यादि तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर प्रतिभूति दाखिल करने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त के आलोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से बंध पत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) मुकुन्द झा, पिता–शशि कान्त झा, मुहल्ला–बलभद्रपुर, पो0–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा का वाहन पंजीयन संख्या–BR07PB-5509 (स्कॉर्पियो) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0– 9,65,538/- (नौ लाख पैंसठ हजार पाँच सौ अड़तीस) रुपये मात्र। (2) मनोज कुमार चौधरी, पिता–रामनन्दन चौधरी, ग्राम–अब्दुल्लाहपुर बलभद्रपुर, लहेरियासराय, जिला–दरभंगा। का वाहन पंजीयन सं0–BR07AD-0777 (मारूति) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0 9,56,020/- (नौ लाख छप्पन हजार बीस रुपया) मात्र का दिया गया। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0 8,46,022/- (आठ लाख छियालिस हजार बाईस) रुपये मात्र है। दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है। जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति, बंध–पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1080 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2019 के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड संख्या–451 / 18 में जब्त स्कॉर्पियो पंजीयन संख्या–**BR07PB-3473** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।	

आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु, प्राप्त बंध–पत्र आदि एवं माननीय उच्च्य न्यायालय के उपर्युक्त पारित आदेश की छाया प्रति के साथ अनुपालनार्थ **थानाध्यक्ष, बहादुरपुर** को भेजें। उन्हें निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च्य न्यायालय के उक्त आदेश के कंडिका (iv) में पारित आदेश के आलोक में वाहन विमुक्ति से पूर्व फोटाग्राफी एवं पंचनामा तैयार कराकर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/9/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा